बिहार सरकार

खेल विभाग

अधिसूचना

सं०–01/स्था०–26(निय०)–02/2024/2640.. पटना–15, दिनांक–..10.06/2025

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार के राज्यपाल, खेल विभाग के अधीन **बिहार खेल सेवा संवर्ग** के कर्मचारियों की भर्त्ती एवं सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ–**

(i) यह नियमावली **''बिहार खेल सेवा (भर्ती और सेवा शर्तें) नियमावली, 2025''** कही जा सकेगी।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(iii) यह राजपत्र में प्रकाशित होते ही प्रवृत्त होगी।

2. **परिभाषाएँ**– इस नियमावली में जब तक कि विषय या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:

(i) ''खेल'' से अभिप्रेत है सभी शारीरिक और बौद्धिक गतिविधियाँ, चाहे वे व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से की जाती हो तथा भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा खेल के रूप में मान्यता प्राप्त हों। इसे राष्ट्रीय खेल महासंघ द्वारा विहित नियमों और विनियमों द्वारा भी विनियमित किया जाना चाहिए और ओलम्पिक खेलों/एशियाई खेलों/राष्ट्रमंडल खेलों/राष्ट्रीय खेलों में खेला जाना चाहिए।

(ii) ''खेल आयोजन'' से अभिप्रेत है खेल से संबंधित कोई भी आयोजन, जिसमें व्यक्तिगत, दोहरी और टीम स्पर्द्धाएँ शामिल हैं, जिसे उस खेल को संचालित करने वाले प्राधिकृत खेल निकाय द्वारा मान्यता प्राप्त हो;

(iii) ''राज्य सरकार'' से अभिप्रेत है बिहार सरकार;

(iv) ''विभाग'' या ''नियंत्री विभाग'' से अभिप्रेत है खेल विभाग;

(v) ''नियुक्ति प्राधिकार'' से अभिप्रेत है खेल विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव;

(vi) ''आयोग'' से अभिप्रेत है बिहार लोक सेवा आयोग;

(vii) ''संवर्ग'' से अभिप्रेत है बिहार खेल सेवा संवर्ग;

(viii) ''संवर्ग नियंत्री प्राधिकार'' से अभिप्रेत है खेल विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव;

(ix) ''सदस्य'' से अभिप्रेत है बिहार खेल सेवा में नियुक्त व्यक्ति तथा इसमें इस नियमावली के लागू होने के पूर्व संवर्ग में नियुक्त सभी व्यक्ति सम्मिलित हैं;

(x) ''नियत तिथि'' से अभिप्रेत है इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि।

164

संवर्ग की संरचना– इस संवर्ग की संरचना निम्न रूप में होगी–

क्र० सं०	पदनाम	स्तर	स्थिति
1	(i) जिला खेल पदाधिकारी (ii) सहायक निदेशक खेल (iii) सहायक निदेशक युवा (iv) व्याख्याता, एस.एच.एवं शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय	मूल कोटि	अराजपत्रित
2	(i) वरीय खेल पदाधिकारी (ii) प्राचार्य, एस.एच.एवं शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय	प्रथम प्रोन्नति स्तर	राजपत्रित
3	उप निदेशक खेल	द्वितीय प्रोन्नति स्तर	राजपत्रित
4	संयुक्त निदेशक खेल	तृतीय प्रोन्नति स्तर	राजपत्रित

4. **संवर्ग का स्तर और संवर्ग बल–**

(i) यह संवर्ग राज्य स्तरीय होगा। इस संवर्ग में विभिन्न श्रेणियों के पदों की स्वीकृत संख्या वही होगी जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर विहित/स्वीकृत की जाए।

(ii) इस सेवा की मूल कोटि के 75 प्रतिशत पद सीधी भर्ती से तथा शेष 25 प्रतिशत पद बिहार अधीनस्थ खेल संवर्ग के क्रीड़ा प्रशिक्षकों से प्रोन्नति द्वारा भरे जायेंगे।

(iii) यह संवर्ग राज्य स्तरीय होगा तथा खेल विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में रहेगा।

(iv) इस सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों के लिए वही वेतनमान/वेतन स्तर अनुमान्य होगा, जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर विहित/स्वीकृत किया जाय।

(v) कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के नियंत्रणाधीन बिहार खेल एवं युवा सेवा में नियत तिथि के पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत कर्मी इस सेवा के समकक्ष स्तर के पद पर स्वतः नियुक्त एवं कार्यरत समझे जायेंगे।

(vi) इस सेवा के सदस्यों को राज्य के भीतर किसी भी स्थान/कार्यालय में पदस्थापित किया जा सकेगा। सेवा के किसी सदस्य को उसकी योग्यता के अनुरूप किसी गैर–संवर्गीय पद पर पदस्थापित या प्रतिनियुक्त किया जा सकेगा।

सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए अर्हता–

क. **शैक्षणिक अर्हता**

(i) सेवा की मूल कोटि की 75 प्रतिशत उपलब्ध रिक्तियों के विरूद्ध सीधी भर्ती से नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होगी।

(ii) अभ्यर्थी को नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान (भारतीय खेल प्राधिकरण) द्वारा संचालित राष्ट्रीय खेल संस्थान से सुसंगत खेल की खेल कोचिंग में डिप्लोमा उत्तीर्ण होना चाहिए या लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर या केन्द्रीय खेल विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या बिहार खेल विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य खेल विश्वविद्यालय से खेल कोचिंग में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीएससी) पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना चाहिए।

ख. **खेल उपलब्धि–**

(i) मान्यता प्राप्त प्रतियोगिताओं में देश का प्रतिनिधित्व किया हो या राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप जैसे ओलंपिक/राष्ट्रमंडल खेल/एशियाई खेलों में राज्य का प्रतिनिधित्व किया हो या अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय/मान्यता प्राप्त जूनियर चैंपियनशिप/राष्ट्रीय युवा चैंपियनशिप में कम से कम दो बार या अंतर सेवा प्रतियोगिता/अखिल भारतीय पुलिस खेल/अंतर रेलवे चैंपियनशिप में 03 बार भाग लिया हो।

(ii) विज्ञापन वर्ष की पहली अगस्त को अभ्यर्थी की न्यूनतम एवं अधिकतम आयु वही होगी जो राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा समय–समय पर विहित/विनिश्चित की जाय।

6. **मूल कोटि में नियुक्ति–**

(i) विभाग प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को उपलब्ध रिक्तियों की गणना करेगा तथा 30 अप्रैल तक नियुक्ति प्राधिकार के माध्यम से आयोग को आरक्षण कोटिवार उपलब्ध रिक्तियों की अधियाचना उपलब्ध कराएगा।

(ii) प्राप्त रिक्तियों की अधियाचना के आधार पर चयन हेतु आयोग द्वारा विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा।

(iii) विज्ञापन के आलोक में आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षा के लिए विषय/साक्षात्कार एवं पाठ्य विवरण का निर्धारण आयोग द्वारा विभाग के परामर्श से भारतीय खेल प्राधिकरण के खेल कोचिंग डिप्लोमा के नियमित पाठ्यक्रम के पाठ्य विवरण को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा।

(iv) नियुक्ति प्राधिकार सम्यक् रूप से आयोग को रिक्ति की अधियाचना भेजेगा और आयोग रिक्तियों को प्रकाशित करेगा तथा प्रतियोगी परीक्षा की मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की गई मेधा सूची के अनुसार आरक्षण कोटिवार सफल अभ्यर्थियों का चयन कर मेधा क्रम में अभ्यर्थियों के

नामों की अनुशंसा नियुक्ति प्राधिकार को करेगा। मेधा सूची की वैधता अनुशंसा प्राप्त होने की तारीख से एक वर्ष तक होगी।

(v) आयोग द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों को राज्य सरकार द्वारा गठित चिकित्सा (मेडिकल) बोर्ड के समक्ष उपस्थित होना होगा। संबंधित अभ्यर्थी की अनुशंसा विभाग द्वारा विहित शारीरिक मापदंड को पूरा न करने पर समाप्त कर दी जाएगी, ताकि वह अपने पदीय कर्तव्य को दक्षतापूर्वक निष्पादित् कर सके।

(vi) उचित जाँच के बाद नियुक्ति प्राधिकार अभ्यर्थियों को एक वर्ष के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त करेगा।

7. **प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति–**

(i) सेवा की मूल कोटि के 25 प्रतिशत (पच्चीस प्रतिशत) पदों पर उपलब्ध रिक्तियों के विरूद्ध नियुक्ति बिहार अधीनस्थ खेल संवर्ग के क्रीड़ा प्रशिक्षकों की गैर संवर्गीय प्रोन्नति द्वारा की जाएगी।

(ii) प्रोन्नति के लिए कार्यकाल पूरा करना तथा सरकार द्वारा समय–समय पर विहित अन्य अर्हताएँ एवं मानदण्ड पूरे करना आवश्यक होगा।

(iii) विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर वरीयता–सह–योग्यता के आधार पर प्रोन्नति दी जाएगी।

(iv) विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन विभाग द्वारा पृथक् आदेश से किया जाएगा।

8. **आरक्षण–** संवर्ग में नियुक्ति के लिए राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित आरक्षण/रोस्टर के प्रावधान का अनुपालन किया जाना अपेक्षित होगा।

9. **वरीयता–**

(i) नियत तिथि से पूर्व सेवा के किसी भी वर्ग में नियुक्त और सेवारत सदस्यों की पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

(ii) नियत तिथि के पूर्व मूल कोटि के पदों पर नियुक्त एवं कार्यरत सदस्य, नियत तिथि के बाद नवनियुक्त कर्मचारियों से वरीय होंगे।

(iii) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त कर्मचारियों की सेवा की मूल कोटि में पारस्परिक वरीयता आयोग द्वारा निर्धारित मेधा क्रम में होगी।

(iv) सेवा की मूल कोटि में प्रोन्नति द्वारा नियुक्त कर्मचारियों की पारस्परिक वरीयता वही होगी जो प्रोन्नति से पूर्व उनकी पारस्परिक वरीयता थी।

(v) किसी कैलेण्डर वर्ष में सेवा की मूल कोटि में प्रोन्नति द्वारा नियुक्त कर्मचारी, उस कैलेण्डर वर्ष में सेवा की मूल कोटि में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त कर्मचारियों से वरीय होगा।

(vi) वरीयता निर्धारण के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर विहित प्रावधान इस सेवा के सदस्यों पर भी लागू होंगे।

10. **परिवीक्षा अवधि–**

(i) संवर्ग की मूल कोटि में नियुक्त सदस्य पदग्रहण की तिथि से 01 वर्ष के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे। यदि परिवीक्षा अवधि के दौरान सेवा संतोषजनक नहीं पाई जाती है तो कारणों को दर्ज करते हुए इसे 01 वर्ष के लिए बढ़ायी जा सकेगी। यदि बढ़ाई गई अवधि के दौरान भी सेवा संतोषजनक नहीं पाई जाती है तो संबंधित कर्मचारी को सेवा से मुक्त किया जा सकेगा।

(ii) परिवीक्षा अवधि में नवनियुक्त सदस्य को विभाग द्वारा यथाविहित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करना होगा।

11. **हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा–** इस संवर्ग की मूल कोटि के पद पर नियुक्त कर्मचारी को बिहार सरकार के मंत्रिमंडल विभाग (राजभाषा) द्वारा आयोजित की जाने वाली बिहार सरकारी सेवक (हिन्दी परीक्षा) नियमावली, 1968 (समय–समय पर यथा संशोधित) में निहित प्रावधानों के अनुसार हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा।

12. **विभागीय परीक्षा एवं पाठ्य विवरण–** इस सेवा में नवनियुक्त कर्मचारी को विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा। विभागीय परीक्षा का विषय, पाठ्य विवरण एवं प्रक्रिया केन्द्रीय परीक्षा समिति, राजस्व पर्षद द्वारा निर्धारित की जाएगी।

13. **सम्पुष्टि–** परिवीक्षाधीन व्यक्ति की सेवा की सम्पुष्टि संतोषप्रद ढंग से परिवीक्षा अवधि पूरी करने, विहित प्रशिक्षण पूरा करने, मंत्रिमंडल (राजभाषा) विभाग द्वारा आयोजित हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा उत्तीर्ण करने और विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् की जाएगी।

14. **प्रोन्नति–**

(i) सेवा की मूल कोटि से उच्चतर पदों पर प्रोन्नति विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर वरीयता एवं योग्यता के आधार पर दी जाएगी।

(ii) प्रोन्नति के लिए कार्यकाल पूरा करना तथा सरकार द्वारा समय–समय पर विहित अन्य अर्हताएँ एवं मानदण्ड पूरे करना आवश्यक होगा।

(iii) विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन विभाग द्वारा पृथक् आदेश के माध्यम से किया जाएगा।

(iv) प्रोन्नत पदों के लिए सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित प्रोन्नति के मानदंडों को पूरा करना आवश्यक होगा।

15. **प्रशिक्षण–** इस सेवा की मूल कोटि के पद पर नियुक्त व्यक्तियों को राज्य सरकार की यथापेक्षित खेलकूद के उच्च स्तरीय तकनीकी प्रशिक्षण अथवा राज्य के अन्दर/बाहर राष्ट्रीय/अन्तरराष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर अथवा खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग लेना होगा।

16. **स्थानांतरण**– इस संवर्ग के सदस्य को कार्य हित एवं प्रशासनिक आधार पर आवश्यकतानुसार राज्य के भीतर किसी भी स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकेगा। स्थानांतरण, नियुक्त प्राधिकार द्वारा किया जाएगा।

17. **अवशिष्ट मामले**– ऐसे मामलों के संबंध में, जो इस नियमावली द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से आच्छादित नहीं हैं, संवर्ग के सदस्य राज्य सरकार के उपयुक्त स्तर के पदाधिकारियों/कर्मचारियों पर लागू नियमों/विनियमों या आदेशों द्वारा शासित होंगे।

18. **कठिनाइयों को दूर करना**–

(i) यदि सरकार की राय में, नियमावली के किसी प्रावधान के लागू होने से सेवा के किसी सदस्य या सदस्यों के समूह को अनुचित कठिनाई होती है, तो सरकार, कारणों को लिखित रूप में दर्ज करके और सामान्य प्रशासन विभाग के परामर्श से, ऐसी कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक सीमा तक ऐसे प्रावधान (प्रावधानों) को शिथिल कर सकेगी।

(ii) इस नियम के अन्तर्गत कोई भी छूट केवल आसाधारण परिस्थितियों में ही दी जाएगी तथा यह नियमावली के उद्देश्यों और भावना के असंगत नहीं होगी।

(iii) इस छूट से किसी व्यक्ति या समूह को कोई अनुचित लाभ या अधिमान्यता प्रदान नहीं की जाएगी तथा ऐसे किसी भी आदेश को पारदर्शिता के लिए राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

(iv) सरकार वरीय पदाधिकारियों और विषय–वस्तु विशेषज्ञों की एक समिति गठित कर सकेगी जो यह जाँच करेगी और सिफारिश करेगी कि क्या प्रत्येक मामले में छूट देना न्यायोचित है।

19. **निर्वचन**– जहाँ इस नियमावली के किसी प्रावधान के निर्वचन के संबंध में कोई संदेह हो, वहाँ मामले का निर्णय विभाग द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग और विधि विभाग के परामर्श के बाद किया जाएगा और उसका निर्णय अंतिम होगा।

20. **निरसन और व्यावृत्ति**–

(i) इस संवर्ग में नियुक्त एवं वर्तमान में पदस्थापित सदस्यों के संदर्भ में कला, संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा अधिसूचित "बिहार खेल एवं युवा सेवा नियमावली, 2014" को एतद् द्वारा निरसित किया जाता है।

(ii) ऐसे निरसन के होते हुए भी पूर्व नियमावली/संकल्प/परिपत्र/अनुदेश द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत की गई कोई कार्रवाई नियमावली के अन्तर्गत की गई मानी जाएगी, मानो यह नियमावली उस दिन लागू थी जिस दिन ऐसी कार्रवाई की गई थी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

9/10/06/25

(निरंजन कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव

69

ज्ञापप सं०–01 / स्था०–26(निय०)–02 / 2024 / 2640... पटना–15, दिनांक–.10..06/ 2025
प्रतिलिपिः–ई–गजट प्रकोष्ठ, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु तथा इसकी 300 मुद्रित प्रतियाँ इस विभाग को भेजने हेतु प्रेषित।

10/06/25

(निरंजन कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव